



2026:AHC:180007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7134 वर्ष

2026

अस्मा बानो

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मो. मोनिस, तहमीमा बेगम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. पुनः पुकार किये जाने पर प्रकरण सुना गया। इस आवेदन पर जोर देने के लिए सूचनाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।
2. 10.08.2026 की कार्यालय की आख्या और फतेहपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की आख्या से पता चलता है कि विपक्षी संख्या 2 को सूचना ठीक से भेज दी गयी है।
3. आवेदनकर्ता के अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान एजीए के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया।
4. यह अग्रिम ज़मानत आवेदनकर्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 36/2026 में दायर की गई है जो कि बीएनएस की धाराओं 87, 137(2), 142, 61(2) और एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं 3(2)5, 3(2)5क के तहत थाना- हाथगांव, ज़िला फतेहपुर में दर्ज है। आवेदन में अग्रिम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



ज़मानत की मांग की गई है क्योंकि आवेदनकर्ता को ऊपर बताए गए प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।

5. आवेदनकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि घटना में आवेदनकर्ता की कोई भूमिका नहीं है। मुख्य आरोप सह-आरोपी आफताब पर हैं। पीड़िता ने धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह आफताब के साथ घर से निकली थी और आफताब के घर पर रुकी थी, जहाँ वह आवेदनकर्ता से मिली थी। धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में भी ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं, जिसमें पीड़िता ने कहा है कि उसकी बहन और माँ ने उसे पीटा था और वह घर छोड़कर आवेदनकर्ता के घर चली गई थी। आवेदनकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पीड़िता अब मिल गई है और आवेदनकर्ता से हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है।

6. विद्वान विद्वान एजीए ने ज़मानत की मांग का विरोध किया, लेकिन आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यों से जुड़े तर्कों को गलत नहीं ठहरा सके।

7. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है।

8. बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों को देखने से ऐसा लगता है कि पीड़िता का सह-आरोपी आफताब के साथ संबंध हो सकता है, जो आवेदक का भतीजा है। कहा जाता है कि पीड़िता के परिवार वालों ने उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद वह सह-आरोपी आफताब के साथ अपना घर छोड़कर चली गई थी। आवेदक पर पीड़िता के अपहरण या उसे गलत तरीके से बंधक बनाने का कोई आरोप नहीं है।

9. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक एक महिला है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अग्रिम ज़मानत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

10. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक का अग्रिम ज़मानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. यदि आवेदक **असमा बानो** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और ज़मानतनामा भरने पर उक्त आपराधिक प्रकरण में तुरंत अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगी;
- ii. आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगी/उसे डराएगी-धमकाएगी नहीं;

12. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय ज़मानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम ज़मानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

25 अगस्त, 2026

एस.ए.